# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

**विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 433/2023**

**डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 के आधार पर राज्य के डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक सूचना**

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 387/2023 एवं पी0आर0 414/2023 एवं पी0आर0 422/2023 के क्रम में सूचित किया जाता है कि राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची **दिनांक–10.12.2023** को समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

2. **तृतीय चयन में संस्थानों में सीट आवटन हेतु आवेदकों का चयन निम्नांकित पात्र आवेदकों में से किया गया है:–**

(i) प्रथम चयन में चयनित होकर नामांकित वैसे आवेदक जिन्होंने Slide up विकल्प का प्रयोग किया था किन्तु द्वितीय चरण में उन्हें उनके उच्चतर विकल्प का संस्थान आवंटित नहीं हो पाया था, तथा उन्होंने तृतीय चरण में उच्चतर विकल्प के संस्थान आवंटन की आशा में पुनः Slide up विकल्प का उपयोग किया है।

(ii) प्रथम चरण में चयनित होकर नामांकित वैसे आवेदक जिन्हें Slide up विकल्प के आधार पर द्वितीय चरण में उच्चतर विकल्प का संस्थान आवंटित हुआ एवं उन्होंने पुनः वहाँ नामांकन लेकर Slide up विकल्प का प्रयोग किया है।

(iii) सीधे द्वितीय चरण में चयनित होकर नामांकित वैसे आवेदक जिन्होंने Slide up विकल्प का प्रयोग किया है।

(iv) वैसे आवेदक जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई भी संस्थान आवंटित नहीं हो पाया था ।

3. प्रथम अथवा द्वितीय चयन सूची के चयनित वैसे आवेदक जिन्होंने 3000/–रू0 की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराया था और जिन्होंने Slide up नहीं किया था उन्हें आवटित संस्थान में अब कोई परिवर्तन नहीं होना है। अतएव वैसे आवेदक अपने वर्तमान आवंटित संस्थान में **दिनांक–09.12.2023 तक** प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि तक वांछित शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में उनके नामांकन को निरस्त कर दिया जा सकता है।

4. तृतीय चयन सूची में सम्मिलित सभी आवेदक अपने आंवटित संस्थान में संपर्क स्थापित कर निर्धारित अवधि (**दिनांक 11.12.2023 से 12.12.2023**) में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क अथवा पूर्व में नामाकंन के आधार पर भुगतान किये गए 3000/रू0 की राशि को घटा कर शेष शुल्क (जैसी भी स्थिति लागू हो) की राशि जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त निर्धारित अवधि में अपने आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं लेने वाले आवेदकों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे संस्थान में पठन हेतु इच्छुक नहीं है और उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

6. पुनः स्पष्ट किया जाता है प्रथम एवं द्वितीय चरण के चयनित वैसे आवेदक जो 3000/रू0 की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके है और Slide Up विकल्प का प्रयोग नहीं किए हैं **वे दिनांक–09.12.2023 तक** संस्थान की प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा यह माना जाएगा कि वे संस्थान में पठन हेतु इच्छुक नहीं है और उनका नामांकन निरस्त कर दिया जा सकता है।

7. जिन आवेदकों का प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं हुआ है, वैसे आवेदक, पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थानवार उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर तृतीय चयन सूची में उनके चयन की संभावना के आलोक में, संस्थान के अपने विकल्पों में **दिनांक 08.12.2023 से 09.12.2023** की अवधि में, परिवर्तित कर सकते हैं अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं।

8. जिन आवेदकों का प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में संस्थान आवंटित हुआ था, किन्तु उनके द्वारा वहां नामांकन लेकर Slide up विकल्प का प्रयोग किया गया और उन्हें तृतीय चरण में नया संस्थान आवंटित होता है, तो उस अभ्यर्थी को नव आवंटित संस्थान में ही नामांकन लेना होगा, क्योंकि उसे पूर्व में (प्रथम एवं द्वितीय चरण में) आवंटित सीट तृतीय चरण में किसी अन्य आवेदक को आवंटित हो चुका होगा।

9. जो आवेदक तृतीय सूचना पत्र पर आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, वैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व समाप्त हो जाएगा।

10. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय पत्र एवं निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिन संस्थानों के द्वारा विभागीय पत्र एवं निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरती जाती है अथवा उनके विरूद्ध समिति को प्राप्त शिकायत जाँचोपरांत सही पायी जाती है, तो वैसे संस्थानों के विरूद्ध कठोर कारवाई के अन्तर्गत आगामी सत्र 2024–26 से सम्बद्धता निलंबित/रद्द की कारवाई करने की बाध्यता होगी।

11. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्य को निदेश दिया जाता है कि तृतीय चरण का जारी की गयी सूची के आलोक में नामांकन हेतु निर्धारित अवधि के अंतर्गत नामांकित आवेदकों का सीट अद्यतन (Updation) की कार्रवाई **दिनांक–13.12.2023** तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात सीट अद्यतन (Updation) का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. समिति की विज्ञप्ति संख्या –पी0आर0 387/2023, पी0आर0 414/2023 एवं पी0आर0 422/2023 में निर्धारित अन्य निर्देश एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

**परीक्षा नियंत्रक (विविध)**

Scanned with CamScanner